

(84)

## कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

// अधिसूचना //

दिनांक 25/01/2014

क्रमांक 86/अ.अ. /2014-यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम एवं असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित असर्वेक्षित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा अर्थात :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<u>बट्टीनामा</u>	222.595	उत्तर-वन ग्राम पुरनतराई दक्षिण-वन ग्राम जोड़ातराई पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-वन ग्राम नागफनी	11	घोटपाल	गीदम	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
2	भालूनाला	572.015	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन/वनग्राम बट्टीनामा पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-राजस्व ग्राम हिड़पाल	12	हिड़पाल	गीदम	—,—
3	बालेंगपाल	317.485	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-राजस्व ग्राम हिड़पाल पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-संरक्षितवन/राजस्व ग्राम उपेट	12	हिड़पाल	गीदम	—,—
4	<u>मलूमण्डा</u>	98.081	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन/अलीबहार नाला/राजस्व ग्राम कोरलापाल पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-आरक्षितवन/इंद्रावती नदी	02	मुचनार	गीदम	—,—

कलेक्टर,

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा



## कार्यालय तहसीलदार गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (छ0ग0)

क./2583/तह0/का0ग0/2018

गीदम, दिनांक 15/05/2018

प्रति,

संयुक्त निदेशक

जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़

रायपुर



16/5/18  
16/5/18  
16/5/18

विषय:- भारत की जनगणना 2011 के लिये योजना-क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची का सत्यापन।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक आई-1101/1/2018 जन-डीसीओ(छ0ग0)/एच-1409 दिनांक 1/2/2018

—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि तहसील गीदम अंतर्गत भारत की जनगणना 2011 के लिये योजना-क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची सत्यापन हेतु इस कार्यालय का प्राप्त हुआ है। उक्त सूची में तहसील गीदम के 67 ग्रामों का नाम अंकित है। सभी का सत्यापन कर नाम को लाल स्याही से सुधार किया गया है। उक्त सूची दो अन्य ग्राम बटटीनामा एवं मल्लुमुण्डा का नाम नहीं है। ग्राम बटटीनामा का जनगणना वर्ष 2011 में ग्राम घोटपाल के पारा-टोला के रूप में हुआ है। घोटपाल का एमडीडीएस कोड-450137, ग्राम कोड-0020 है। तथा ग्राम मल्लुमुण्डा का जनगणना ग्राम मुचनार के पारा-टोला के रूप में हुआ है। ग्राम मुचनार का एमडीडीएस कोड-450126, ग्राम कोड-0009 है। ग्राम बटटीनामा एवं मल्लुमुण्डा को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अधिसूचना क्रमांक 86/भू0अ0/2014 दिनांक 25/01/2014 जारी किया गया है।

अतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

ना. तहसीलदार  
गीदम

(84)

कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)  
// अधिसूचना //

दिनांक 21/01/2014

क्रमांक 137/सात-1/2014-यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम एवं असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित असर्वेक्षित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा अर्थात् :-

स. क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नम्बर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	बट्टीनामा	222.595	उत्तर-वन ग्राम पुरनतराई दक्षिण-वन ग्राम जोड़ातराई पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-वन ग्राम नांगफनी	11	घोटपाल	गीदम	दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
2	भालूनाला	572.015	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन/वनग्राम बट्टीनामा पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-राजस्व ग्राम हिड़पाल	12	हिड़पाल	गीदम	—
3	बालेगपाल	317.485	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-राजस्व ग्राम हिड़पाल पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-संरक्षितवन/राजस्व ग्राम उपेट	12	हिड़पाल	गीदम	—
4	भलूमुण्डा	98.081	उत्तर-आरक्षितवन दक्षिण-आरक्षितवन/अलीबहार नाला/राजस्व ग्राम कोरलापाल पूर्व-आरक्षितवन पश्चिम-आरक्षितवन/इंद्रावती नदी	02	मुचनार	गीदम	—

कलेक्टर,

दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा